न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 120/2014

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. कोलाराम पुत्र धीसाराम जाति–नाई,निवासी–बैंड़कलां तह०–जैतारण (जिला–पाली)

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर तह०–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.04/06/2014

उपस्थितः 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी।

2. तहसीलदार जैतारण/ सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनांकः– 29/05/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बैंड़कलां, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 407 रकबा 6–10 बीघा की आई हुई हैं। वादी की उक्त जमीन में से 1–00 बीघा कृषि भूमि आई हुई हैं, जिस पर वादी का कब्जा काश्त हैं। उक्त खसरान् की भूमि कुल 6–10 बीघा हैं। जिसमें से वादी ने दिनांक 24/05/1988 को उक्त भूमि में से 1–00 बीघा जमीन जरिये रजिस्टर्ड बेचान के गफुर खां, गुलाब खां, करीम खां, सतार खां पि० घीसा खां जाति–तेली से खरीद की थी तथा उक्त रजिस्ट्री होने के बाद उक्त बेचाननामें की एक प्रति प्रतिवादीगण के अधीन कर्मचारी पटवारी को दी थी। लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त रजिस्ट्री पंजीकृत बेचाननामा के आधार पर म्यूटेशन पारित नहीं किया। उक्त भूमि पर ऋण लेने के लिये दिनांक 14/05/2014 को जब वादी पटवारी से मिला व नकले प्राप्त की, तब पता चला कि प्रतिवादी ने आज दिन तक उक्त बेचान नामें के आधार पर म्यूटेशन पारित कर राजस्व रेकर्ड में उनका नाम इन्द्राज नहीं किया व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया। जबकि वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने का अधिकारी हैं। वादी वक्त खरीद के समय से आज दिन तक उक्त एक बीघा कृषि भूमि पर काबिज हैं व माफिक हिस्से अनुसार आज दिन तक कब्जा व काश्त हैं व लगातार बिना किसी रोक टोक के वादी मय परिवार उक्त भूमि पर काश्त करता आ रहा हैं। वादी ने नकल प्राप्त होने के दूसरे दिन भी प्रतिवादी के समक्ष म्यूटेशन पारित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। लेकिन उन्होंने टालमटोल करते हुए करते हुए राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करने से मना कर दिया और यह कहां कि उस समय फेगमेट के तहत् म्यूटेशन नहीं भरा था, जबकि उक्त बेचान पर फेगमेट का नियम भी लागू नहीं होता, क्योंकि उक्त भूमि के पास वादी की जमीन खसरा नम्बर 367 व 368 हैं। जिसके चिपते ही एक मांठ की मिली हुई उक्त जमीन हैं। जिनके चारों तरफ उक्त बेचान खसरे को बेचान भूमि व वादी की सम्पूर्ण भूमि खन्दक लगाकर एक साथ की हुई हैं। इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेशकर वकील मय वादी ने मौजा–बेड़ कलां तहसील जैतारण में स्थित ख. नं. 407 रकबा 6=10 बीघा किस्म बा०अ० में से 1 बीघा कृषि भूमि जो वादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

द्वारा जरिए पंजीबद्ध बेचान दिनांक 24.05.1988 को खरीद की हैं। जिसमें वादी को उक्त कय सुदा 1 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वादपत्र दर्जरजिस्टर किया जाकर गै0सा0 को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा पत्रांक/भू.अ./15/103 दिनांक 22.05.2015 द्वारा जबाब प्रा0पत्र तथा जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजात पेश किया, सा0मि0 हो। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टादि अनुसार गाम-बेड़कलां के प्रार्थी कोलाराम पुत्र धीसाराम नाई द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेज एवं गाम बेड़कलां के मोहर सहित हस्ताक्षर हैं, परन्तु पंचायत का निर्णय अंकित नहीं हैं। भू0अ0 निरीक्षक की जांच में नियमों के अनुसार नियमित क्षेत्रफल से छोटे टूकड़े नहीं हो सकते हैं, काबिल खारिज है, की टिप्पणी अंकित हैं। बा0सं0 667 में दो बेचान दस्तावेजों के अंकन किये गये थें, जिसमें एक बेचान दस्तावेज का अमल दरामद जमाबन्दी में हो गया। परन्तु कोलाराम पुत्र धीसाराम का नाम अमल दरामद नहीं किया गया था। रिपोर्ट जांच अनुसार खसरा नम्बर 407 रकबा 1 बीघा भूमि पर वर्तमान में कोलाराम पुत्र धीसाराम कौम नाई का ही कब्जा काश्त हैं।

बहस वकील वाद सुनी गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र बेड़कला में पेश हुई। प्रस्तुत वाद एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जबाब मय राजस्व रेकर्ड जांच रिपोर्ट पर वकील मय वादी एवं तहसीलदार जैतारण को सुना गया। वस्तुतः पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 03.06.1988 से वादी में बतौर केता विकेता गफूर खां, करीम खां, सतार खां पि0 धीसा खां कौम तेली से 1 बीघा कय की हैं। किन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया हैं एवं मौके पर तहसीलदार जैतरण की रिपोर्टानुसार वादी का ही कब्जा काश्त हैं। अब वास्तविक रूप से 1 बीघा उक्त वादी की कय सुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने पर अपखण्डन की स्थिति के कारण किसी प्रकार की रोक नहीं हैं तथा अन्य कोई विधिक प्रकिया से बाधित भी नहीं हैं। लिहाजा वादी को माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 03.06.1988 उक्त विवादित आराजी की 1 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता हैं। माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 03.06.1988 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं, कि सरहद मौजा बेडकलां तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 407 रकबा 6=10 बीघा में से कय सुदा 1 बीघा बा0अ0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हों। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की छाया प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 22/05/2015 को सरे इजलास आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

1. कोलाराम पुत्र घीसाराम
   जाति-नाई,निवासी-वैंड़कलां
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण लैण्ड
   होल्डर तह0-जैतारण
   (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:270/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्तागण, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता हैं। माफिक पंजीवद्ध दस्तावेजात दिनांक 03.06.1988 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं, कि सरहद मौजा वेड़कलां तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 407 रकबा 6=10 बीघा में से कय खुदा । बीघा बा0अ0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की छाया प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

नीज .....-.....मुवलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/05/2015 को आमेजित राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1=00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1=00		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत	1=00		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	8=00		फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः-	500		मिजानः-	—Nil—	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner